



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.12.2024 को थाना सिधारी पुलिस व स्वाट टीम प्रथम की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले 05 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद चोरी की एसबीबीएल बन्दूक ZAROO GUN FACTORY 8178, 05 अदद पूर्ण निर्मित अवैध तमंचा, 17 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर (8 अदद सफेद पारदर्शी, 4 अदद लाल रंग, 3 अदद केसरी रंग व 2 अदद पीले रंग का), 04 अदद खोखा कारतूस 12 बोर (2 अदद सफेद रंग, 1 अदद लाल रंग, 1 अदद पीले रंग का), 01 अदद जिन्दा कारतूस 7.6 MM, 30 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 18 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 11 अदद खोखा कारतूस .32 बोर (रिवाल्वर), 16 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 9MM, 02 अदद जिन्दा कारतूस .22 बोर, 36 अदद खोखा कारतूस .32 बोर (पिस्टल), 01 अदद मैगजीन लोहे का .32 बोर, 01 अदद अर्ध निर्मित तमंचा .315 बोर व 08 अदद नाल 12 बोर, 09 अदद रिपीट पिन, 13 अदद खटका स्प्रिंग, 02 अदद खटका, 01 अदद भट्टी लोहे की, 01 अदद इलेक्ट्रिक कटर मशीन, 02 अदद बसुली, 01 अदद लोहे का ठीहा, 02 अदद आरी ब्लेड मय फार्म के, 02 अदद आरी ब्लेड, 10 अदद छेनी छोटी बड़ी, 04 अदद चपटा रेती, 01 अदद त्रिकोनी रेती, 02 अदद हथौड़ा लोहे की बेत सहित व 02 अदद हथौड़ा लकड़ी की बेत सहित, 07 अदद विभिन्न नम्बरों के रिन्च, 02 अदद सड़सी, 02 अदद पेंचकस, 02 अदद गिलमिट बरमा, 01 अदद लोहे की गुनिया, 02 किलोग्राम कोयला, 03 अदद कटर ब्लेड, 01 अदद घिसाई पत्थर, 02 अदद मोटी घिसाई ब्लेड बरामद किया गया है।

थाना-सिधारी

अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले 05 शातिर अपराधी गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक अदद लाइसेन्सी एसबीबीएल बन्दूक ZAROO GUN FACTORY 8178, 05 अदद पूर्ण निर्मित तमंचा, 68 अदद जिन्दा कारतूस, 69 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद मैगजीन लोहे का .32 बोर, 01 अदद अर्ध निर्मित तमंचा .315 बोर, 08 अदद नाल 12 बोर, 09 अदद रिपीट पिन, 13 अदद खटका स्प्रिंग, 02 अदद खटका, 01 अदद भट्टी लोहे की, 01 अदद इलेक्ट्रिक कटर मशीन, 02 अदद बसुली, 01 अदद लोहे का ठीहा, 04 अदद आरी ब्लेड, 10 अदद छेनी छोटी बड़ी, 05 अदद रेती, 04 अदद हथौड़ा, 07 अदद विभिन्न नम्बरों के रिन्च, 02 अदद सड़सी, 02 अदद पेंचकस, 02 अदद गिलमिट बरमा, 01 अदद लोहे की गुनिया, 02 किलोग्राम कोयला, 03 अदद कटर ब्लेड, 01 अदद घिसाई पत्थर, 02 अदद मोटी घिसाई ब्लेड, 02 अदद मोटर साइकिल बरामद

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

➔ आज दिनांक 04.12.2024 को थाना प्रभारी सिधारी विरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह, चौकी प्रभारी मूसेपुर मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय हमराह स्वाट टीम प्रथम की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर भदुली मूनी बाबा की कुटिया के पास बसवारी पहुँचकर छापा मारा गया जहाँ अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले 05 अभियुक्तों को समय 02.30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक अदद लाइसेन्सी एसबीबीएल बन्दूक ZAROO GUN FACTORY 8178, 05 अदद पूर्ण निर्मित तमंचा, 68 अदद जिन्दा कारतूस, 69 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद मैगजीन लोहे का .32 बोर, 01 अदद अर्ध निर्मित तमंचा .315 बोर, 08 अदद नाल 12 बोर, 09 अदद रिपीट पिन, 13 अदद खटका स्प्रिंग, 02 अदद खटका, 01 अदद भट्टी लोहे की, 01 अदद इलेक्ट्रिक कटर मशीन, 02 अदद बसुली, 01 अदद लोहे का ठीहा, 04 अदद आरी ब्लेड, 10 अदद छेनी छोटी बड़ी, 05 अदद रेती, 04 अदद हथौड़ा, 07 अदद विभिन्न नम्बरों के रिन्च, 02 अदद सड़सी, 02 अदद पेंचकस, 02 अदद गिलमिट बरमा, 01 अदद लोहे की गुनिया, 02 किलोग्राम कोयला, 03 अदद कटर ब्लेड, 01 अदद घिसाई पत्थर, 02 अदद मोटी घिसाई ब्लेड, 02 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 464/24 धारा 3/5/7/12/25/27आर्म्स एक्ट 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अपराध करने का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि हम लोग कबाड़ी की दुकान से अपने काम लायक लोहे की पाइप एवं अन्य सामान चुनकर खरीद लेते हैं इसके अलावा असलहा तैयार करने में जो सामान लगता था वह सब रामधारी राजभर पुत्र बनारसी राजभर निवासी बसही लहुआ कला थाना देवगांव आजमगढ़ जो इस समय गाजीपुर जेल में बन्द है वह हम लोगों को देता था, कारतूस भी हम लोग उसी से लेते थे और असलहा तैयार करते हैं। हम लोग मिलकर यहां सूनसान जगह देखकर अपना काम करते थे माल तैयार होने पर पंकज निषाद व रविकान्त उर्फ बड़क तथा मुंशी द्वारा बाइक से जगह जगह जाकर तैयार शस्त्र कारतूस को अच्छे दामों पर बेचा जाता था यही असलहा कारतूस बेचकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/आपराधिक इतिहास:-

1.संजय विश्वकर्मा पुत्र सोहित विश्वकर्मा सा0 आजमबाध थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

- 1.मु0अ0सं0- 119/23 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 464/24 धारा 3/5/7/12/25/27आर्म्स एक्ट 317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

2. रविकान्त उर्फ बड़क पुत्र स्व0 अशोक यादव सा0 सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

- 1.मु0अ0सं0- 211/2019 धारा 307 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0- 209/19 धारा 41/411413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0-144/21 धारा 411/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 4.मु0अ0सं0- 143/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना सिधारी
- 5.मु0अ0सं0- 81/20 धारा 323/506 भादवि थाना सिधारी
- 6.मु0अ0सं0- 09/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी
- 7.मु0अ0सं0- 08/23 धारा 323/386/506 भादवि थाना सिधारी
- 8.मु0अ0सं0- 01/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी
09. मु0अ0सं0 464/24 धारा 3/5/7/12/25/27आर्म्स एक्ट 317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

3.रामविलास चौहान पुत्र स्व0 मोहित चौहान ग्राम बेनपुर अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष,

01. मु0अ0सं0 464/24 धारा 3/5/7/12/25/27आर्म्स एक्ट 317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

4.पंकज निषाद पुत्र बीरबल निषाद निवासी हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

02. मु0अ0सं0 464/24 धारा 3/5/7/12/25/27आर्म्स एक्ट 317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

5. मुंशी राम पुत्र बैरागी निवासी कोलारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष

03. मु0अ0सं0 464/24 धारा 3/5/7/12/25/27आर्म्स एक्ट 317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद चोरी की एसबीबीएल बन्दूक ZAROO GUN FACTORY 8178 बरामद।
02. 03 अददद पूर्ण निर्मित तमंचा .315 बोर।
03. 02 अदद 12 बोर पूर्ण निर्मित तमंचा।
04. 01 अदद अर्ध निर्मित तमंचा .315 बोर।
05. 17 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर (8 अदद सफेद पारदर्शी, 4 अदद लाल रंग 3 अदद केसरी रंग व 2 अदद पीले रंग का)।
06. 01 अदद जिन्दा कारतूस 7.6 MM,
07. 30 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
08. 16 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
09. 02 अदद जिन्दा कारतूस 9MM ।
10. 02 अदद जिन्दा कारतूस .22 बोर।
11. 36 अदद खोखा कारतूस .32 बोर (पिस्टल)।
12. 11 अदद खोखा कारतूस .32 बोर (रिवाल्वर)।
13. 04 अदद खोखा कारतूस 12 बोर (2 अदद सफेद रंग, 1 अदद लाल रंग, 1 अदद पीले रंग का)।
14. 18 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
15. 01 अदद मैगजीन लोहे का .32 बोर।
16. 09 अदद रिपीट पिना।
17. 13 अदद खटका स्प्रिंग।
18. 02 अदद खटका।
19. 01 अदद भट्टी लोहे की।
20. 01 अदद इलेक्ट्रिक कटर मशीन।
21. 02 अदद बसुली।
22. 01 अदद लोहे का ठीहा।
23. 04 अदद आरी ब्लेड।
24. 10 अदद छेनी छोटी बड़ी।
25. 05 अदद रेती।
26. 04 अदद हथौड़ा ।
27. 07 अदद रिन्च
28. 02 अदद सड़सी
29. 02 अदद पेंचकस

- 30. 02 अदद गिलमिट बरमा
- 31. 01 अदद लोहे की गुनिया
- 32. 03 अदद कटर ब्लेड
- 33. 01 अदद घिसाई पत्थर
- 34. 02 अदद मोटी घिसाई ब्लेड
- 35. 08 अदद नाल 12 बोर
- 36. 02 किलोग्राम कोयला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 2. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय हमराह स्वाट टीम प्रथम जनपद आजमगढ़।
- 3. चौकी प्रभारी मूसेपुर 30नि0 राजीव कुमार सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 4. हे0कां0 सर्वेश यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 5. कां0 मनोज कुमार यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 6. कां0 आदित्य कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 7. कां0 सतीश कुमार गौड़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 8. कां0 दीपक पासवान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 9. कां0 हरिभान सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 10. कां0 दीवानचन्द थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 11. म0कां0 सीमा यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

